फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बायतु

सरकार बनाम वीरचन्द पुत्र सोनाराम जाति दर्जी साकिन पुराना गांव

किस्म मुकदमा राज.भू.राज. अधि. 1956 की धारा 91 मुकदमा नम्बर 16/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख व हुक्म जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.11.2021	पटवारी हल्का नागोणी धतरवालों की ढाणी ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि उक्त गैर सायल ने ग्राम पुराना गांव पटवार मण्डल नागोणी धतरवालों की ढाणी संवत 2078 में ख.न. 1026/792, कुल रकबा 1.2944 हैक्टयर में से 1332 वर्ग फुट किस्म गै.मु.क्वाटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कच्चा झोंपा तथा पत्थर डालकर अतिचार किया है। अतः उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् मुकदमा दर्ज रजिस्टर होकर गैर सायल को नोटिस दिया जाकर मिसल दिनांक 25/11/2021 को पेश हों। तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर	
25/11/2021	पत्रावली पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित। विप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। संबंधित वकील द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 29/11/2021 को पेश हो। तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर	
29/11/2021	पत्रावली पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित। विप्रार्थी की ओर से वकील उपस्थित। संबंधित वकील ने जवाब हेतु एक और अतिरिक्त अवसर चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/12/2021 को पेश हो। तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर	29/11/21

Scanned by CamScanner

06.12.2021 पत्रावली पेश हुई। विप्रार्थी की ओर से वकील उपस्थित। वकील की तरफ से विप्रार्थी के कब्जे संबंधी कोई सन्तोष-जनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पटवारी हल्का नागोणी घत्तरवालों की ढाणी तथा भू. अ. निरीक्षक नागोणी घत्तरवालों की ढाणी से प्राप्त रिपोर्ट व समस्त बहस को सुनने के पश्चात राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विप्रार्थी को अतिचारी मानते हुए अतिक्रमित सरकारी भूमि से भौतिक बेदखली व जुर्माना आरोपित करते हुए निर्णय अलग से लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल होवे।

तहसीलदार बायतु
जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner

...यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

राजस्थान सरकार
पटवारी हल्का नागोणी
धतरवालों की ढाणी

वीरचन्द पुत्र सोनाराम कौम दर्जी निवासी पुराना गांव

मुकदमा नम्बर 16/2021 अन्तर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 06.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी की ओर से वकील उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी द्वारा संवत 2078 के दौरान तहसील बायतु के पटवार मण्डल नागोणी धतरवालों की ढाणी के ग्राम पुराना गांव के खसरा न. 1026/792 रकबा 1.2944 हैक्ट. में से 1332 वर्ग फुट किस्म गै.मु. क्वाटर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का नागोणी धतरवालों की ढाणी द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्रार्थी से तमील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया है। विप्रार्थी द्वारा गै.मु. क्वाटर भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्रार्थी को राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान का पचास गुना जुर्माना रू 50/– अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसूल हो।

पटवारी हल्का अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर जुर्माना वसूल करें तथा भू. अभिलेख निरीक्षक नीलामी की कार्यवाही कर फर्द नीलामी स्वीकृति हेतु पेश करे। विप्रार्थी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का,भू.अ.निरीक्षक व त.रा.ले. तहसील हाजा को आदेश से सूचित हो, पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया।
निर्णय आज दिनांक 06/12/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय तहसीलदार बायतु जिला बाड़मेर (राज)

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बायतु जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner